

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ.सूरज सिंह नेगी,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

67 / 2023
19.07.2023

1. रामअवतार पुत्र रामदेव जाति तेली निवासी ग्राम दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज.
2. संजय पुत्र प्रकाशचंद जाति महाजन निवासी दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज.

—अपीलान्टस

बनाम

तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.06.2023 तहसीलदार दूनी उनवानी प्रकरण सरकार
बनाम महावीर, प्रकरण सं. 390 / 2023

उपस्थिति : (1) श्री श्याम सुन्दर विजय व श्रीमति रेणु विजयवर्गीय, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 24.08.2023

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 28.06.2023 के द्वारा अपीलान्टस को आराजी खसरा नम्बर 2243 रकबा 0.20 हैक्टेयर चारागाह वाके ग्राम दूनी, तहसील दूनी पर तारबाड, बगीचा व रास्ता निकाल कर अतिक्रमण मानकर वार्षिक लगान 1.60 रुपये का 50 गुना जुर्माना कुल 80 रु आस्तित तथा 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किए जाने का पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अपीलान्टस के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। अपीलान्टस



डॉ.सूरज सिंह नेगी
— डॉ.सूरज सिंह नेगी

को उक्त एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने से पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर भी नहीं दिया गया है। उक्त प्रकरण में अपीलांटस की तामील भी विधि अनुसार नहीं हुई है और उसी दिन अपीलांटस के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय बयान गलत रूप से लेखबद्ध करवाकर उक्त आदेश पारित किया है जो बयान पटवारी हल्का आशीष गोयल द्वारा लेखबद्ध करवाये गये हैं, उन बयानों में पटवारी हलका ने शपथ लेकर बयान नहीं किये हैं, जिनका विधि अनुसार कोई महत्व नहीं है, उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अपीलांटस द्वारा किसी भी सरकारी/चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी कोई साक्ष्य दस्तावेजी एवं मौखिक रूप से प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलांट ने उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके पर गये एवं बिना वास्तविकता की जांच किये कार्यालय परिसर में बैठे-बैठे ही एक पक्षीय रूप से एक दिन में समस्त कार्यवाही की गई है, जो आदेशिका को देखने से पूर्णतया दर्शित होती है जो कि विधिविरुद्ध है। वर्तमान में अपीलांटस का किसी भी राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं है और भविष्य में कभी भी किसी भी राजकीय भूमि पर अपना कब्जा नहीं करेगा। इस संबंध में शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तहसीलदार दूनी का निर्णय दिनांक 28.06.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलांटस को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है व अपीलांट रामावतार की तामील व्यक्तिगत व संजय की तामील चस्पांदगी से करवाई गई है किन्तु अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्टस ने उक्त आरांजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल संख्या 319/2023 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलांटस का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अपीलांटस द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस एवं राजकीय परोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है तथा अपीलांटस की तामील करवाई गई है किन्तु अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अपीलान्टस द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नं. 2243 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म चरागाह वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी पर तारबाड, बगीचा व रास्ता निकाल कर अतिक्रमण किया था किन्तु तहसीलदार दूनी के उक्त निर्णय के पश्चात् अपीलांट ने वर्तमान में अपना कब्जा हटा लिया है जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार दूनी से तलब की गई। तहसीलदार दूनी ने अपने पत्र क्रमांक 1286 दिनांक 28.07.2023 से रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें अंकित किया है कि अपीलांटस द्वारा अतिक्रमण हटाकर अपनी खातेदारी खेत की सीमा पर तारबंदी कर ली है। इस संबंध में न्यायालय हाजा में अपीलांटस द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है।



बहिरिस्त विभा डकेवर
द्वारा

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.06.2023 के जरिये लगाया गया अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि तहसीलदार दूनी यह सुनिश्चित करेंगे की अपीलाण्टस का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलाण्टस द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलाण्ट कब्जा नहीं करेगा। यदि अपीलाण्टस उक्त भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. सुरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक